



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2018 पुनरीक्षण

प्र.निगरानी/रीवा/भू.सं. 2018/01080

रामशोपाल पुत्र रामकृपाल लोहार

निवासी ग्राम पांती महतमान तहसील हनुमना

जिला रीवा (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

श्री. अरुण भागवत, म.प्र.
द्वारा आज दि. 6-2-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 21-2-18 नियम।

1. मुस. कौशिल्या बेवा स्व. बहोरे पटेल
2. शिवबहोर पिता स्व. बहोरे पटेल
3. विजयशंकर पिता स्व. बहोरे पटेल
4. रमाशंकर पिता स्व. बहोरे पटेल

सभी निवासीगण ग्राम पांती महतमान
तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मकेशभावा
6-2-18 प्रस्ताव
ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा प्रकरण
कमांक 76 /अपील/अ-66/2016-17 में पारित आदेश
दिनांक 22.12.2017 के विरुद्ध म.प्र. वास स्थान दलखकार
अधिनियम 1980 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।
- 2- यह कि, आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना के समक्ष बास स्थान दखलकार अधिनियम (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम 1980 की धारा 6 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया कि आराजी

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(43)

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक II/1701/रा.वा./अ.प्र./18/1080

रा.वा.पा.न / मु.प्र. ल.शि.पा. 40

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08/01/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>कुलेश मारी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>रा.वा. (अ.प्र.)</u> के प्रकरण क्रमांक <u>76/अ.प्र.ल.अ. 66/16-17</u> में पारित आदेश दिनांक <u>22-12-17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग <u>रा.वा. (अ.प्र.)</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>23/04/19</u> को संभागीय आयुक्त <u>रा.वा. (अ.प्र.)</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p align="right"><u>सदस्य</u></p>

[Handwritten signature/initials]